

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/ईलेक्ट्रीक पम्प सेट/2015-16/5796 दिनांक : 15/02/2021

राशि हस्तांतरण आदेश

विषय : कृषि कूप विद्युतीकरण एवं विद्युत पम्प सेट योजना की राशि हस्तान्तरण बाबत।

भागिय यू. ओ. नोट. क्रमांक 4067 दिनांक 04.02.2021 के क्रम में शासन के निर्देशानुसार आयुक्तालय के पी डी खाते में गैर उपयोजना क्षेत्र की कृषि कूप विद्युतीकरण एवं विद्युत पम्प सेट योजना की उपलब्ध राशि अनुसूचित क्षेत्र में उपयोग ली जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सारणी-अ

क्र.सं.	स्वीकृति संख्या	राशि
1	79/2015-16 दिनांक 18.11.2015	58.00
2	80/2015-16 दिनांक 18.11.2015	10.00
3	81/2015-16 दिनांक 18.11.2015	74.00
	योग	142.00

संबंधित उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, को जिलेवार निम्नानुसार राशि का हस्तान्तरण किया जाना है -

सारणी-ब

(राशि लाखों में)

क्र.सं	उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,	स्वीकृति संख्या	हस्तांतरित किये जाने वाली राशि
0	1	2	3
1	बांसवाडा	79/2015-16	6.00
		81/2015-16	74.00
		योग	80.00
2	उदयपुर	80/2015-16	10.00
		79/2015-16	20.00
		योग	30.00
3	प्रतापगढ	79/2015-16	30.00
		योग	30.00
4	आबूरोड	79/2015-16	2.00
		योग	2.00
		महायोग	142.00

उपरोक्त सूची के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्वीकृतियों में से कॉलम संख्या 3 अनुसार राशि जिलेवार हस्तान्तरित होगी।

(डॉ. वृद्धि चन्द गर्ग)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

कृ.पृ.उ.

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/ईलेक्ट्रीक पम्प सेट/2015-16/5796 दिनांक : 15-02-2021
प्रतिलिपि -

1. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा/उदयपुर/प्रतापगढ/आबूरोड।
2. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त वर्णित सूची के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्वीकृतियों में से कॉलम संख्या 3 अनुसार राशि रु. 142.00 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा/ उदयपुर /प्रतापगढ/ आबूरोड को हस्तांतरित करे।
3. निदेशक मोनेटरिंग, कार्यालय हाजा।
4. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
5. गार्ड फाईल

10
अतिरिक्त आयुक्त